तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जा[री] हुए
30/5/17	पी.ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है पेशी इल्तवा होकर पत्रावली दिनांक 13/6/17 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
13/6/17	वकलाय उप०। वकील प्रार्थी बहस हेतु समय चाहते हैं, जो अन्तिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली दि. 29/6/2017 को पेश हो। (हस्ताक्षर) अति. जिला कलेक्टर, पाली	
29/6/17	वकलाय उप०। वकील प्रार्थी बहस हेतु अवसर चाहते हैं, जो अन्तिमतम अवसर दिया जाता है। आगामी तारीख पेशी पर बहस न सुनाने की स्थिति में प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किया जावेगा। पत्रावली दिनांक 6/7/2017 को पेश हो। (हस्ताक्षर) अति० जिला कलेक्टर, पाली	
6/7/2017	वकलाय उप०। बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए इस न्याया० द्वारा पारित आदेश दिनांक 7/6/2016 को रिव्यू कराने का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी सं. 2 व 3 एवं सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि न्यायालय द्वारा प्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए आदेश पारित किया है, जिसे रिव्यू कराने का कोई आधार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज	

(हस्ताक्षर) अति० जिला कलेक्टर, पाली

तारीख हुक्म	प्रकाश बनाम तहसीलदार सुमेरपुर हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रिव्यू प्रकरण सं. 11/2017	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किया जावे। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा रेकर्ड का अवलोकन किया। ज़ेर पुनर्विलोकनाधीन आदेश कोर्ट कैम्प सुमेरपुर में उभय पक्ष की उपस्थिति मे विधिवत सुनवाई की जाकर पारित किया है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे ऐसा कोई नवीन तथ्य अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है, जो आदेश पारित करते समय प्रार्थी द्वारा पेश नही किया जा सकता था। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 86 तथा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 47 नियम 01 सी.पी.सी. के आज्ञापक प्रावधानों के तहत पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर मूल अपील के नत्थी हो। (signature) अति० जिला कलेक्टर, पाली	